प्राचार्य का कार्यालय राजकीय पोलिटेकनिक आदित्यपुर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड, रॉची

अंशकालीन व्याख्याताओं को कार्यादेश निर्गत करने हेतु साक्षात्कार की सूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखण्ड सरकार के पत्रांक 2890 दिनांक 11.12.2015 के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक आदित्यपर में अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्यानुमति प्रदान करने हेतू दिनांक 23.08.2022, 24.08.2022 एवं 25.08.2022 को निम्न तालिका के अनुसार राजकीय पोलिटेकनिक आदित्यपुर में साक्षात्कार आयोजित किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित तिथि को सभी वांछित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं मूल प्रति के साथ साक्षात्कार हेतु राजकीय पोलिटेकनिक आदित्यपुर में उपस्थित होंगे। विस्तृत सचना तथा विहित प्रपन्न संस्थान के वेव साईट www.gpadp.org.in पर उपलब्ध है। अंशकालीन व्याख्याताओं को निर्गत किए जाने वाले कार्यादेश पूर्णरूपेण अस्थायी हैं और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। निर्गत कार्यादेश नियमित नियुक्ति का आधार नहीं माना जायेगा। अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्यादेश झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के तहत होगी। सभी उम्मीदवार को अपने आवेदन में आरक्षण कोटि यथा, अनु० जाति / अनु० जन० जाति, पिछडा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, सामान्य का उल्लेख करना होगा एवं इससे संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। कार्यादेश प्राप्त अंशकालीन व्याख्याताओं को रू० ४००/- (चार सौ रू०) प्रति व्याख्यान अधिकतम २४००० रू० (चौबीस हजार रू०) प्रति माह की दर से पारिश्रमिक देय होगा। साक्षत्कार में सम्मिलित होने एवं चयन के उपरान्त योगदान देने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। पूर्व में कार्यरत अंशकालीन व्याख्याताओं को भी पुनः साक्षत्कार में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ शामिल होना होगा। साक्षात्कार में सिमालित अभ्यर्थियों का Shortlisting उनके शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायगा। जिन विषयों में अंशकालीन व्याख्याताओं की आवश्यकता है, उसका विषय/शाखा, योग्यता, साक्षात्कार की तिथि एवं समय नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्रमांक	विषय	निर्घारित योग्यता (न्यूनतम)	साक्षात्कार का समय एवं तिथि
1.	भौतिकी, रसायन, गणित, अंग्रेजी	संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में	11:00 AM & 23.08.2022
		रनातकोत्तर	
2.	1. विद्युत अभियंत्रण	संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक	11:00 AM & 24.08.2022
	2. कम्प्युटर साईंस एण्ड इंजी०	या समकक्ष	
3.	1. यांत्रिक अभियंत्रण	संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में रनातक	11:00 AM & 25.08.2022
	2. धातु अभियंत्रण	या समकक्ष	

कार्यः सैद्धान्तिक/प्रायोगिक/सात्रिक/कार्यों से संबंधित अध्यापन प्रश्न पत्रों का चयन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सहित अन्य शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन तथा संस्थान प्रधान/विभागाध्यक्ष द्वारा सौपें गये अन्यान्य कार्य।

- 1. पूर्व से कार्यरत / चयिनत अंशकालीन व्याख्याता जो अगले शैक्षणिक वर्ष मे भी कार्य करने के लिए इच्छुक है उन्हें भी इस प्रकाशित सूचना के अनुरूप पुनः आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं साक्षात्कार में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- 2. यह कार्यादेश केवल एक शैक्षणिक सत्र (2022-23) के लिए मान्य होगा।
- 3. पूर्व मे चयनित सभी अंशकालीन व्याख्याताओं के कार्यादेश भी 30.09.2022 के बाद स्वतः निरस्त हो जाएगें।
- 4. सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 5. यह कार्यादेश पूर्णतः अंशकालीन एवं अस्थायी है, तथा किसी रिक्त पद के विरूद्ध नहीं किया जा रहा है। अतः चयनित अभ्यार्थी द्वारा इस आशय का न्यायालय / नोटरी पब्लिक से शपथ पत्र देना होगा कि वे नियमित नियुक्ति के लिए भविष्य में दावा नहीं करेगें।



- 6. कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर चयनित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र न्यायालय / नोटरी पब्लिक से देना होगा कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत किसी भी अन्य राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक / अभियंत्रण महाविद्यालय / विश्वविद्यालय अन्तर्गत कॉलेज / संस्थानों मे वर्ग कार्य नहीं करते है। अगर ऐसा करते हुए पाये जायेगें तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई के हकदार होगें।
- 7. ऐसे अभ्यर्थी जो अंशकालीन व्याख्याता के रूप में चयनित हुए है, एवं अन्यत्र सरकारी सेवा में है, को संबंधित संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 8. सामयिक / सात्रिक / प्रायोगिक / प्रश्न पत्र चयन तथा आंतरिक मूल्यांकन इत्यादि के लिए अलग से कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

 विभाग द्वारा नियमित नियुक्ति होने या संविदा पर नियुक्ति होने के उपरान्त स्वतः उनका कार्यादेश रद्द समझा जायगा।

> व्याख्याता (प्रवर कोटि)—सह—प्राचार्य राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर